न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 490–पीबीआर/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 20–8–2013 पारित द्वारा अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर प्रकरण कमांक 107/11–12/निगरानी.

श्रीमती जशोदाबाई पति मुरार पुत्री देवा
निवासी ग्राम काल्याखेड़ी, पोष्ट खुटला
तहसील पुनासा जिला खण्डवा .....आवेदिका

विरूद्ध

1– श्रीमती अनोखीबाई विधवा राजू उर्फ राजाराम
2– कैलाश पिता राजाराम
3– भैयालाल पिता राजाराम
4– नंदराम पिता राजाराम
5– महेश पिता राजाराम
निवासी ग्राम काल्याखेड़ी, पोष्ट खुटला
तहसील पुनासा जिला खण्डवा .....अनावेदकगण

श्री एस.के. बाजपेयी, अभिभाषक, आवेदिका
श्री ओ.पी. शर्मा, अभिभाषक, एवं
श्री टी.टी. गुप्ता, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 7/10/15 को पारित)

आवेदिका द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर पारित आदेश दिनांक 20–8–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदकगण द्वारा नायब तहसीलदार, टप्पा पुनासा जिला खण्डवा के समक्ष संहिता की धारा 115 के अंतर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम बड़नगर रैयत की भूमि खसरा नं. 7 रकबा 10.69 एकड़ होकर वर्ष 1968–69 के अधिकार अभिलेख के अनुसार रम्भईबाई विधवा देवा, कौशल्याबाई विधवा नत्थू, राजू पिता नत्थू अज्ञान पालक कौशल्याबाई के नाम दर्ज थी । बाद में सबके नाम समाप्त कर बिना किसी संशोधन के आवेदिका जशोदा बाई का नाम वर्ष 1974–75 से 1978–79 तक खसरा पांचसाला में अंकित हो गया है, उसे दुरूस्त किया जाये। तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक 14/अ–6–अ/2005–06 पंजीबद्ध किया जाकर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान आवेदिका द्वारा व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने पर तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 13–6–08 को आदेश पारित कर अनावेदकगण का आवेदन पत्र निरस्त किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश से व्यथित होकर अनावेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, खण्डवा के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 26–7–2010 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त करते हुए प्रकरण संहिता की धारा 115 के तहत नियमानुसार जांच कर उभय पक्ष को सुनवाई एवं रिकार्ड का अवलोकन कर रिकार्ड संशोधन का विधिवत आदेश पारित करने हेतु तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आवेदिका द्वारा अपर कलेक्टर, खण्डवा के समक्ष निगरानी प्रस्तुत किए जाने पर अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 7–9–2011 को आदेश पारित कर निगरानी निरस्त की गई । अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध आवेदिका द्वारा अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 20–8–2013 को आदेश पारित कर अपर कलेक्टर खण्डवा का आदेश दिनांक 7–9–2011 निरस्त किया जाकर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 26–7–2010 स्थिर रखा गया । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अंतरिम स्वरूप का आदेश पारित करते हुए प्रकरण प्रत्यावर्तित

किया गया है, और अंतरिम आदेश के विरूद्ध निगरानी ही प्रस्तुत की जा सकती है, अपील नहीं । अतः इस संबंध में अपर कलेक्टर द्वारा निकाला गया निष्कर्ष त्रुटिपूर्ण हैं । यह भी कहा गया कि अपर आयुक्त ने जब यह माना है कि अनुविभागीय अधिकारी का आदेश अंतरिम स्वरूप का है, तब उन्हें गुण–दोष पर आदेश पारित करना चाहिए था, किन्तु उनके द्वारा गुण–दोष पर कोई आदेश पारित नहीं किया गया है, और न ही प्रकरण अपर कलेक्टर को गुण–दोष पर निराकरण हेतु प्रत्यावर्तित किया गया है, इसलिए उनका आदेश भी निरस्ती योग्य है । तर्क में यह भी कहा गया कि अपर आयुक्त ने अपर कलेक्टर का आदेश निरस्त कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखा है, किन्तु आदेश में यह उल्लेख नहीं किया गया है कि अनुविभागीय अधिकारी का आदेश किन आधारों पर उचित एवं विधि अनुरूप है । इस आधार पर कहा गया कि अपर आयुक्त का आदेश बोलता हुआ नहीं है । यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि 31 वर्ष बाद संहिता की धारा 115 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र प्रचलन योग्य नहीं है, अतः तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश उचित है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि संहिता की धारा 116 के अंतर्गत 1 वर्ष के अन्दर ही आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है, और प्रकरण में स्वत्व का प्रश्न निहित होने से अनावेदकगण को व्यवहार न्यायालय से ही स्वत्व का निराकरण कराना चाहिए ।

तर्कों के समर्थन में 1989 आर.एन. 4, 1992 आर.एन. 26 1993 आर.एन. 291 एवं 1993 आर.एन. 100 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मौखिक एवं लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त, अपर कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी के निर्णयों के अवलोकन से आवेदिका की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रथम दृष्टया ही प्रचलन योग्य नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

(2) इस न्यायालय के निर्णयों में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि ऐसी गलत प्रविष्टि को संहिता की धारा 115 के अन्तर्गत दुरूस्त किया जाना चाहिए, और ऐसे मामलों में समय–सीमा की अवधि लागू नहीं होती है।

(3) माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने निर्णयों में यह न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि सक्षम न्यायालय के बिना आदेश के कोई प्रविष्टि की गई है या विधिवत हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में की गई प्रविष्टि को काटा जाकर पुनः संहिता की धारा 115 के अन्तर्गत शुद्ध की जाती है । प्रस्तुत प्रकरण में भूमिस्वामी राजू पुत्र नत्थू एवं कौशल्या बाई का नाम भी बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के छूटा है, ऐसी स्थिति में इस न्यायालय को संहिता के अंतर्गत आवेदन अनुसार दुरूस्ती कर अनावेदकगण का नाम दर्ज कराने का पूर्ण अधिकार है । यह भी कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अभी अंतिम आदेश पारित नहीं किया गया है, प्रकरण तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया गया है, जहां आवेदिका को पक्ष समर्थन का अवसर उपलब्ध है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदिका यह सिद्ध नहीं कर सकी है कि अनावेदकगण का वादग्रस्त भूमि पर स्वत्व नहीं है।

तर्कों के समर्थन में 2005 आर.एन. 212 एवं 2011 आर.एन. 256, 2003 आर.एन. 452, 1998 आर.एन. 296 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय द्वारा अनावेदकगण की ओर से संहिता की धारा 115 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र के आधार पर प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई है, और कार्यवाही के दौरान आवेदन पत्र में संशोधन करने के आदेश भी दिये गये हैं । तदोपरान्त आवेदिका द्वारा व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर तहसील न्यायालय द्वारा संहिता की धारा 115 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र प्रचलन योग्य नहीं होना मानकर निरस्त किया गया है । इस संबंध में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निकाला गया निष्कर्ष वैधानिक एवं उचित है कि तहसील न्यायालय द्वारा संहिता की धारा 115 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र के आधार पर प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई थी एवं आवेदन पत्र में संशोधन के निर्देश भी दिये गये थे, तब आवेदिका की ओर से व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र के आधार पर अनावेदकगण का आवेदन पत्र निरस्त नहीं कर विधिवत जांच की जाना चाहिए थी कि

राजस्व अभिलेखों में की गई प्रश्नाधीन प्रविष्टि किसी आदेश से की गई है अथवा फर्जी तरीके से की गई है । संहिता की धारा 115 में स्पष्ट प्रावधान है कि तहसीलदार की जानकारी में यह तथ्य आने पर कि राजस्व अभिलेखों में अशुद्ध प्रविष्टि की गई है, शुद्ध करने का अधिकार तहसीलदार को प्राप्त है । अतः तहसील न्यायालय को प्रकरण समाप्त नहीं कर विधिवत जांच की जाकर प्रकरण का गुण–दोष के आधार पर निराकरण करना चाहिए था । अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त कर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित करने में पूर्णतः विधिसंगत कार्यवाही की गई है कि संहिता की धारा 115 के अन्तर्गत नियमानुसार जांच कर उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर देकर एवं रिकार्ड का अवलोकन कर रिकार्ड संशोधन का विधिवत आदेश पारित करें । चूंकि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा वैधानिक एवं उचित आदेश पारित किया गया है, इसलिए उसकी पुष्टि करने मे अपर आयुक्त द्वारा किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है, अतः उनका आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर पारित आदेश 20–8–2013 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर